न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–46 / 2021

संतलाल राय वगैरह................................वादीगण

बनाम

साहिल कुमार वगैरह..प्रतिवादीगण

28.04.25 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–9 बसंतलाल राय के द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र दिनांक–23.09.2021 को प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–9 से 9'एफ' की ओर से स्वीकार करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–24.02.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी सं0–9 से 9'एफ' ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–9 बसंत लाल राय की मृत्यु हो गई जिनके प्रतिस्थापित सदस्य 9 नघुवंश, 9'ए' गीता देवी, 9'बी' श्रवण कुमार, 9'सी' रौशन कुमार, 9'डी' प्रिंस कुमार, 9'ई' रुपम कुमारी, 9'एफ' खुशबु कुमारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पूर्व के पतिवादी सं0–9 बसंत लाल राय के द्वारा दिनांक–23.09.2021 को प्रतिवादपत्र को मानते हैं। पूर्व के उक्त प्रतिवादपत्र को ही प्रतिस्थापित सभी सदस्यों द्वारा प्रतिवादपत्र के रूप में मानते हुए स्वीकृति प्रदान किया जाए। वर्तमान वाद में प्रतिस्थापित सभी सदस्य द्वारा कोई दूसरा प्रतिवादपत्र नहीं दिया जाना है। अतः निवेदन है कि प्रतिस्थापित सदस्यों के द्वारा दिनांक–23.09.2021 को बसंत लाल राय द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र को ही प्रतिस्थापित सदस्यों के प्रतिवादपत्र के रूप में स्वीकृत प्रदान की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण वर्तमान में आवश्यक पक्षकार हैं तथा प्रतिवादी सं0–9 बसंत लाल राय के द्वारा पूर्व में दाखिल प्रतिवादपत्र को प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–9 से 9'एफ' की ओर से स्वीकृत वो ग्रहण किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु अवश्यक प्रतीत होता है। प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–9 से 9'एफ' का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा वादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है। अतः प्रतिवादी सं0–9 से 9'एफ' द्वारा दाखिल आवेदन वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु न्यायहित में स्वीकृत करते हुए प्रतिवादी सं0–9 से 9'एफ' को प्रतिवादी सं0–9 बसंत लाल राय द्वारा पूर्व में दाखिल प्रतिवादपत्र को स्वीकृत वो ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है तथा अभिलेख को पुनः प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

वाद दिनांक– 27-06-2025 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।